

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

सं० 21/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 4 अक्टूबर, 2018

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 793(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 के सामने,-

- (क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "2.98 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "4.16 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 3 में,-

- (क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "4.83 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "7.19 रुपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सा.का.नि. 793 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

जिसे सा.का.नि. 340(अ), दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।